कार्यवृत्त

मंगलवार, 02 भाद्रपद, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 24 अगस्त, 2021)

खण्ड–60
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत कोविड–19 के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज कार्यसूची में सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर इस उपवेशन में भी दिये गये। जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर मा0 सदस्यों द्वारा लायी गयी चिन्ता के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा सकारात्मक उत्तर दिये गये। इस सम्मानित सभा द्वारा सम्पूर्ण भारत में इतनी लम्बी अवधि तक कार्यसूची में प्रवेश सभी प्रश्नों के उत्तर पर परिचर्चा कर पाना एक ऐसा रिकार्ड है जो लम्बे समय तक विद्यमान रहेगा। मैं इसके लिए सभी मा0 सदस्यों को बहुत–बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री खजान दास	राजपुर रोड़ विधान सभा अन्तर्गत तिलक रोड़, डाडीपुर के मध्य मन्नुगंज नाले के क्षतिग्रस्त दीवारों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। (उक्त सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।) **(12 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)**
2.	श्री आदेश सिंह चौहान	जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत जसपुर विधान सभा क्षेत्र में पॉलिटैक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री करन माहरा	उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलकारियों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
4.	हाजी फुरकान अहमद	प्रदेश के बेरोजगार फार्मासिस्टों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
5.	काजी मो0 निजामुद्दीन	अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम में विभिन्न तकनीकी पदों पर चयनित 24 अभ्यार्थियों को पिछले 02 वर्षों से नियुक्ति न मिलने के सम्बन्ध में।
6.	श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल	कपकोट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन धरमघ–चुचेर मोटर मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
7.	श्री दीवान सिंह बिष्ट	वर्ग 3 भूमि का विनियमितीकरण की दर को कम किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की अधिसूचना की धारा–15(6) एवं धारा–15(9) के अन्तर्गत वार्षिक लेखा विवरण वित्तीय वर्ष 2013–2014 से वित्तीय वर्ष 2016–2017 तक की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि:–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का आठवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन), विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का नौवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन), विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का दसवां अधिनियम बन गया।

(4) इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 मई, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 मई, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 मई, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 मई, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(8) सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(9) स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(10) देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 15 जुलाई, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2021 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''श्री देव सुमन राज्य विश्वविद्यालय कैम्पस चम्बा टिहरी गढ़वाल से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मानवेन्द्र सिंह बिष्ट, ग्राम व पो0 बादशाही थौल चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय अंजनीसैंण, जनपद टिहरी गढ़वाल के सड़क से न जुड़े होने के सम्बन्ध में'' श्रीमती बेबी असवाल, पूर्व ब्लाक प्रमुख, जाखणीधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''नर्सिंग कालेज सुरसिंगधार में लम्बे समय से पद न भर पाने के सम्बन्ध में'' श्री हरि सिंह पुण्डीर ग्राम काण्डा पो0 ज्ञानसू, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम प्रेमराजपुर, पोस्ट ईकबालपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण व चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव कुमार पुत्र श्री अमन कुमार, ग्राम जहाजपुर, पोस्ट ईकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम धीरमाजरा में आन्तरिक गलियों की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अमर सिंह पुत्र श्री नानकू, ग्राम धीरमाजरा, पो0 हल्लूमाजरा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम जहाजगढ़ (अमरपुर काजी) पोस्ट ईकबालपुर से रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बध में'' श्री अंकित पुत्र श्री सुरेश चन्द्र ग्राम जहाजगढ, पोस्ट ईकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली स्थित पश्चिमी भरदार (सौंदाखाल) में दूरसंचार टावर स्थापित करने के सम्बन्ध में'' श्रीमती गुड्डी देवी, ग्राम सौंराखाल, विकास खण्ड जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्यमंत्री ने माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 अगस्त, 2021 एवं दिनांक 23 अगस्त, 2021 की बैठक में दिनांक 23 एवं 24 अगस्त, 2021 उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

अगस्त, 2021

23 सोमवार	निधन के निदेश
24 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2021–22 की अनुपूरक अनुदान मागों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्रीमती ममता राकेश, श्री करन माहरा, श्री राजकुमार एवं श्री आदेश सिंह चौहान, श्री हरीश सिंह तथा श्री मनोज रावत को सूचनाओं की ग्राहयता पर सुन रहे हैं।

प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

(01 बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

पूर्व में घोषित रानीखेत समेत चारों जिलों के शासनादेश संख्या 1553/XVIII(I)/2011-9(2)/2011, को पुर्नजीवित कर रानीखेत, कोटद्वार, डीडीहाट एवं यमुनोत्री जिले का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री राजकुमार, श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 43 मिनट पर भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

नन्दा गौरा योजना के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

दूरस्थ विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नेटवर्किंग की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

नियम 299 के अन्तर्गत मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि उत्तराखण्ड विधान सभा में गत कई वर्षों से मा0 मुख्यमंत्री जी के विभागों से सम्बन्धित विभागों का प्रश्नकाल नहीं हो पा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि ऐसा मात्र संयोगवश है, प्रक्रियानुसार मा0 मुख्यमंत्री का वार आंवटन सोमवार को ही किया जाता रहा है। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

कोरोना महामारी से निपटने में राज्य सरकार के कथित रूप से विफल रहने के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

मा0 मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021–2022 की अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रस्तुत की।

नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री करन माहरा ने भी विचार व्यक्त किये।

(04 बजकर 09 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मौ0 काजी निजामुद्दीन, श्रीमती ममता राकेश, श्री हरीश सिंह, हाजी फुरकान अहमद, श्री राजकुमार, श्री मनोज रावत एवं श्री आदेश सिंह चौहान ने भी सूचना पर अपने विचार व्यक्त किये।

(04 बजकर 51 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मा0 स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:–

''उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)'' की धारा 10(1) जी0)के अन्तर्गत उपबन्धित व्यवस्थानुसार विधान सभा के 02 (दो) माननीय सदस्यों को यह सदन 'गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद् में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–14 के संबंध में श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा लाकडाउन के दौरान बंद औद्योगिक इकाईयों द्वारा श्रमिकों को लाकडाउन अवधि का वेतन भुगतान किये जाने की सूचना विषयक पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा श्रीमती ममता राकेश के भाषण से आरम्भ हुई। श्रम मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न के संबंध में श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा कोटाबाग नैनीताल भस्युगाज, हरिद्वार दुर्गम जबकि पौड़ी, चम्पावत, उत्तरकाशी पालिटैक्निक संस्थान सुगम में रखे जाने विषयक सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा श्री मनोज रावत के भाषण से आरम्भ हुई। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 53 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश की सूचना जो कि प्रदेश में प्राथमिक व उच्च्य प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक एवं इण्टर कालेज में व्यायाम प्रवक्ता के नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री महेश जीना की सूचना जो कि विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जीर्ण–शीर्ण भवनों का नवनिर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के संबंध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुकेश सिंघल,
सचिव (प्रभारी)
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेम चन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।